पत्र संख्या–१३/वि०मं०–०३/२०२४ सा०47/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना–१५, दिनांक – 08 फरवरी, 2024

विषय – मा० श्री महेशवर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार) स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के २०६ वें सत्र में पूछा जाने वाला ऑन–लाईन तारांकित प्रशन संख्या–१/२०६/३४ के स्थानांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०६/३४ द्वारा इस विभाग के लॉगिन से प्राप्त है । आलोच्य प्रश्न संख्या–१/२०६/३४ का विषयवस्तु "स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देकर सम्मानित करने,से संबंधित है," । उक्त विषय गृह विभाग, बिहार, पटना से संबंधित रहने के कारण आलोच्य तारांकित प्रश्न की प्रति वांछित कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न का उत्तर गृह विभाग से देने की कृपा की जाय । इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय को दी जा रही है ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–०३/२०२४–सा०47/पटना–१५, दिनांक– 08 फरवरी, २०२४

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०६/३४ के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त ऑन–लाईन तारांकित प्रश्न संख्या–१/२०६/३४ को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर गृह विभाग, बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–०३/२०२४–सा०47/पटना–१५, दिनांक– 08 फरवरी, २०२४

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

(1)

# बिहार विधान परिषद प्रश्न

1/206/34

स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन

19/01/2024 05/02/2024

*1/206/34 श्री महेश्वर सिंह(पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार )

सामान्य प्रशासन

(क) क्या यह सही है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव एवं 6 साल पूर्व मनाये गये शताब्दी वर्ष समारोह पर भी महात्मा गांधी को चंपारण लानेवाले एवं सत्याग्रह आंदोलन के सूत्रधार रहे पंडित राजकुमार शुक्ल के परिजनों को ना तो किसी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, ना ही आरक्षण का लाभ दिया गया और ना ही स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि उनकी सारी संपत्ति और जमीन अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार पंडित राजकुमार शुक्ल के परिजनों को जमीन उपलब्ध कराने तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देकर सम्मानित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---